International Journal of Social Science Research (IJSSR)
Volume- 2, Issue- 5 | September - October 2025 ISSN: 3048-9490

महिलाएँ: राजनीतिक परिप्रेक्ष्य

डॉ० मौ० मुज़फ्फर अंसारी
राजनीती विज्ञान, घिस्सुपुरा-हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

शोध सार

यह शोध पत्र महिलाओं की राजनीति में भागीदारी और उनके नज़रिए को समझने की कोशिश करता है। महिलाएँ केवल घर-परिवार की देखभाल तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे समाज और राष्ट्र की राजनीति को भी गहराई से प्रभावित करती हैं। भारतीय राजनीति का इतिहास गवाह है कि स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आज तक महिलाओं ने हर दौर में अपनी हाजरी दर्ज कराई है। इसके बावजूद भी राजनीति में उनका जो मुकाम होना चाहिए उस स्तर तक नहीं पहुँच पाया है। आज भी संसद, विधानसभा या राजनीतिक दलों में महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले बहुत कम है जो ज़हन में कई सवाल पैदा करता है। प्रस्तुत शोध पत्र महिलाओं के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को तीन स्तरों पर देखने का प्रयास करता है इतिहास, वर्तमान और भविष्य। इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि महिलाएँ राजनीति में क्यों आवश्यक हैं, उनकी भागीदारी अब तक किस प्रकार रही है, उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और आगे उनके लिए कौन-कौन से अवसर मौजूद हैं। भारत के साथ-साथ विश्व स्तर की स्थिति पर भी चर्चा की गई है ताकि तुलना स्पष्ट हो सके।

मुख्य शब्द: महिलाएँ, राजनीति, प्रतिनिधित्व, लैंगिक समानता, पंचायत राज, चुनौतियाँ, अवसर

प्रस्तावना:

कायनात में जितनी भी मखलूक है उन सब में औरते सबसे बेहतर मखलूक है जब वह माँ के किरदार में आती है तो उसके पैरो के नीचे जन्नत होने का दर्जा दिया गया है जो उसकी अहमियत व किरदार को बहुत ऊँचा करता है और समाज की लगभग आधी आबादी भी हैं। जब उनके बिना संसार का मुकम्मल तसव्वुर नही किया जा सकता तो फिर किसी शासन तन्त्र की व्यवस्था को उनके अभाव में कैसे उचित ठहराया जा सकता है। किसी भी देश के लोकतंत्र की कल्पना उनके अभाव में अधूरी है। परिवार, समाज और राष्ट्र– हर स्तर पर महिलाएँ अहम किरदार निभाती हैं। भारतीय परंपरा में भी स्त्रियों को शक्ति और प्रेरणा का प्रतीक माना गया है। स्वतंत्रता आंदोलन में भी महिलाओं ने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया, चाहे वह असगरी बेगम और अख्तरी बेगम हो, बेगम हज़रत महल हो, कस्तूरबा गांधी हों या अरुणा आसफ अली। आज जब हम राजनीति की बात करते हैं तो यह सवाल सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि महिलाओं की भागीदारी कितनी है। आँकड़े बताते हैं कि भारत की संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की संख्या अभी भी बहुत कम है। उदाहरण के लिए, लोकसभा चुनाव 2019 में 78 महिलाएँ चुनी गईं, जो कुल सदस्यों का केवल लगभग 14% हिस्सा है।[1] यह प्रतिशत महिलाओं की आबादी और उनकी क्षमता की तुलना में काफी कम है।

महिलाओं को राजनीति में आगे आने से रोकने वाली कई रुकावाटे हैं– जैसे सामाजिक परंपराएँ, आर्थिक संसाधनों की कमी, शिक्षा का स्तर और राजनीतिक दलों में पर्याप्त अवसर न मिलना। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद महिलाओं ने पंचायत स्तर पर नेतृत्व की मिसालें पेश की हैं। 73वें और 74वें संविधान संशोधन ने स्थानीय निकायों

[1] भारत निर्वाचन आयोग, सत्रहवीं लोकसभा आम चुनाव 2019 की सांख्यिकीय रिपोर्ट (नई दिल्ली: भारत निर्वाचन आयोग, 2019)।

में महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया है, जिससे लाखों महिलाएँ सीधे राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा बनी हैं।

उद्देश्य

इस शोध का मुख्य उद्देश्य महिलाओं की राजनीति में भागीदारी और उनके प्रतिनिधित्व को समझना है। इसमें भारत और विश्व की स्थिति की तुलना करते हुए यह देखा जाएगा कि महिलाओं ने किस तरह राजनीतिक क्षेत्र में अपनी जगह बनाई है और उन्हें अब भी किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही, पंचायतों से लेकर संसद तक महिला नेतृत्व की भूमिका और उनके योगदान का विश्लेषण किया जाएगा। इस अध्ययन का एक अहम लक्ष्य यह भी है कि महिला आरक्षण, संवैधानिक प्रावधानों और सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों का महिलाओं की राजनीतिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसे स्पष्ट किया जा सके। अंततः यह शोध राजनीति में महिलाओं की संभावनाओं और भविष्य की दिशा पर भी प्रकाश डालने का प्रयास करेगा।

शोध पद्धति

इस शोध में गुणात्मक और विवरणात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया है। अध्ययन का स्वरूप पुस्तकालय आधारित है, जिसमें द्वितीयक स्रोतों से जानकारी एकत्रित की गई है। शोध के लिए प्रमुख सामग्री पुस्तकों, शोध लेखों, सरकारी रिपोर्टों, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और प्रामाणिक वेबसाइटों से ली गई है।

साहित्यिक समीक्षा

उदारवाद एक ऐसी राजनीतिक और सामाजिक विचारधारा है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता, अधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों को सबसे अधिक महत्व देती है। उदारवाद राजनीति में समान अधिकार की वकालत करता है। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी का आधुनिक सिधान्त यहीं से शुरू हुआ।

नारीवाद और लैंगिक समानता: भारतीय राजनीति में महिलाओं की भूमिका को समझने के लिए सबसे पहले नारीवाद और लैंगिक समानता की अवधारणा को जानना आवश्यक है। नारीवाद केवल महिलाओं के अधिकारों की मांग नहीं है, बल्कि यह समाज में समानता और न्याय का विचार प्रस्तुत करता है।[2] भारतीय संदर्भ में यह विचार स्वतंत्रता संग्राम के समय से ही दिखाई देता है जब महिलाओं ने राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। कई विद्वानों ने यह माना है कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी लोकतंत्र को अधिक गहराई और संवेदनशीलता प्रदान करती है।

भारत में महिला सशक्तिकरण: भारतीय राजनीति में महिलाओं की भूमिका में बताया कि महिलाओं की उपस्थिति निर्णय-प्रक्रिया में न केवल समानता का प्रतीक है बल्कि यह सामाजिक न्याय की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है।[3]

सुमित्रा जी अपनी पुस्तक पंचायती राज में महिला नेतृत्व के संदर्भ के नये आयाम प्रस्तुत करती है। इस पुस्तक में पंचायत राज व्यवस्था द्वारा महिला नेतृत्व के सशक्तिकरण, अधिकारों के प्रति जागरूकता, महिला एवं पुरुष नेतृत्व के

[2] Feminism in India. भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी. March 5, 2024,

[3] IJIRCT "भारत में महिला सशक्तिकरण: सामाजिक परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम" 2025, https://ijirct.org/.

द्वारा लिए गये कार्यों का तुलनात्मक मूल्याकन एवं महिला नेतृत्व के संबंध में मत्दाताओं के विचार का अध्ययन किया गया है। संक्षेप में इस पुस्तक में पंचायती राज में महिला नेतृत्व के विविध पहलुओं पर विशद प्रकाश डाला गया है|[4]

डॉ. भरत सिंह ने अपने लेख में स्पष्ट किया है कि पंचायत राज संस्थान ग्रामीण विकास की समस्याओं के समाधान के रूप में देखे जाते हैं और विशेषकर महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़े हैं। अध्ययनों से पता चला है कि महिला नेता कम भ्रष्ट होती हैं और बेहतर शासन में योगदान देती हैं, लेकिन अशिक्षा और पितृसत्तात्मक समाज की वजह से उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पुरुष प्रतिनिधियों की तुलना में महिला प्रतिनिधियों को अपनी क्षमताओं को साबित करने में अधिक समय लगता है। 73वें संशोधन के बावजूद, महिलाओं को पूरी सशक्तिकरण और समान अवसर पाने के लिए अभी भी कई बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है।[5] इसके अतिरिक्त, पंचायत राज संस्थाओं पर किए गए अध्ययनों में यह पाया गया कि स्थानीय स्तर पर महिला नेतृत्व ने न केवल राजनीतिक भागीदारी बढ़ाई है बल्कि सामाजिक विकास के नए आयाम भी स्थापित किए हैं।

डॉ नीलम सिंह ने कहा है कि विश्व के सर्वाधिक व्यापक लोकतंत्र भारत में आधी आबादी की राजनितिक सहभागिता चिंतनीय है यद्दपि सवतंत्रता के साथ ही भारत में महिलाओं को समान राजनितिक अधिकार प्रदान किये गए परन्तु सवतंत्रता प्रप्ति के लगभग 70 वर्ष उपरांत भी महिलाओं कि राजनितिक सहभागिता पुरुषों कि तुलना में नगण्य है|[6]

भारतीय संविधान: भारतीय संविधान में भी महिलाओं के अधिकारों और समान अवसरों की व्यवस्था की गई है। परंतु व्यवहार में महिलाओं की भागीदारी सीमित रही है। भारत में 'महिला आरक्षण कानून' से तात्पर्य नारी शक्ति वंदन अधिनियम) संविधान)106वां संशोधनअधिनियम (, 2023) से है, जो लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में एक) तिहाई-33%) सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करता है। इस संदर्भ में महिला आरक्षण कानून जो बहुत पहले लागू होना चाहिए था लेकिन इसको आगामी चुनाव के लिए टाल दिया गया है| इस कानून के द्वारा ज़मीनी स्तर पर महिलाओं को राजनीति से जोड़ने का काम किया गया है, लेकिन अभी भी वास्तविक सशक्तिकरण के लिए लंबा संघर्ष बाकी है।

वर्तमान में विभिन्न पंचायतों में महिलाओं ने चुनाव जीत कर भारतीय राजनीति में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है लेकिन यह पर्याप्त नही है। पंचायती राज ग्रामीण विकास की द्रष्टि से महत्त्वपूर्ण साधन के रूप में माना जाता है। इसकी कुशलता नेतृत्व की प्रकृति पर निर्भर करती है। भारतीय ग्रामीण समाज में यदि महिला नेतृत्व की बात करें तो वह न के बराबर रहा है। 73 वें संविधान संशोधन के पश्चात पंचायत राज में एक तिहाई सदस्य या पदाधिकारी महिलाओं ले लिए आरक्षित किए गए, यह संवैधानिक बाध्यता है। ऐसे में महिला जनप्रतिनिधियों की पंचायत राज संस्थाओं में आवक तो हुई है, किन्तु यही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि महिला नेतृत्व को लेकर आज भी कई भ्रांतियाँ है।

स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका: भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं ने उल्लेखनीय योगदान दिया। सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, विजयलक्ष्मी पंडित और अरुणा आसफ अली जैसी अनेक महिलाओं ने राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की। उन्होंने न केवल पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया, बल्कि नेतृत्व

[4] सुमित्रा साराँगदेवत, पंचायती राज में महिला नेतृत्व, (जयपुर; हिमांषु पब्लिकेशन, 2008)।

[5] डॉ. भरत सिंह, 'पंचायत में महिला नेतृत्व का अध्ययन,' RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary*9,* संख्या 4 (15 अप्रैल 2024): 279-288|

[6] डॉ नीलम सिंह, "भारत में महिलाओं कि राजनितिक सहभागिता," RJPP 2017, Vol. 15, No.2, pp. 75-84,

की भूमिका भी निभाई। इसने यह सिद्ध कर दिया कि राजनीति केवल पुरुषों का क्षेत्र नहीं है, बल्कि महिलाएँ भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान कर सकती हैं।[7]

संविधान और राजनीतिक अधिकार: देश कि आज़ादी के बाद सबसे बड़ी क्रांति यह थी कि लोक सभा तथा राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचन के लिए सार्वजानिक वयस्क मताधिकार को अपनाया गया| स्वतंत्र भारत के संविधान ने महिलाओं को समान राजनीतिक अधिकार प्रदान किए। अनुच्छेद 325 और 326 ने स्त्री-पुरुष सभी को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिया। इस प्रकार महिलाओं को राजनीतिक समानता और मतदान का अधिकार सुनिश्चित किया गया। यह उस समय की एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी जब अनेक विकसित देशों में भी महिलाओं को मतदान का अधिकार देर से मिला था।[8]

संसद और विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व: हालाँकि महिलाओं को राजनीतिक अधिकार मिले, लेकिन संसद और विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व हमेशा सीमित रहा है। उदाहरण के लिए, सत्रहवीं लोकसभा (2019) में केवल 78 महिलाएँ चुनी गईं, जो कुल सदस्यों का लगभग 14 प्रतिशत है (भारत निर्वाचन आयोग, 2019)। राज्य विधानसभाओं की स्थिति भी लगभग ऐसी ही है।

पंचायत राज व्यवस्था और आरक्षण: 1992 में हुए 73वें और 74वें संविधान संशोधनों ने पंचायतों और नगरीय निकायों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित किया। इस प्रावधान ने लाखों महिलाओं को राजनीति की मुख्यधारा से जोड़ा। आज देशभर में पंचायत स्तर पर महिला सरपंच और सदस्य सक्रिय रूप से काम कर रही हैं, जिसने राजनीतिक परिदृश्य को बदला है।[9]

वर्तमान स्थिति और महिला आरक्षण विधेयक 2023: हाल के वर्षों में संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की संख्या धीरे-धीरे बढ़ी है, परंतु यह संतोषजनक नहीं है। 2023 में पारित महिला आरक्षण विधेयक एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसके तहत संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की गई हैं।[10] इससे आने वाले समय में महिलाओं की राजनीतिक स्थिति में क्रांतिकारी बदलाव की संभावना है।

वैश्विक परिप्रेक्ष्य

विश्व स्तर पर देखा जाए तो राजनीति में महिलाओं की भागीदारी देशों के बीच काफ़ी भिन्न है। कुछ देशों ने उल्लेखनीय प्रगति की है, जबकि अनेक देशों में महिलाएँ अब भी संघर्ष कर रही हैं।

विकसित देशों में स्थिति: विकसित देशो ने महिलाओं की सामाजिक स्थिति को उभारने के लिए प्रमुख नीतियों को अपनाया है, जिस से उनकी राजनितिक स्थिति में सुधार हुआ है| विश्व के प्रमुख विकसित देशो में संसद और सरकार में महिलाओं की भागीदारी सबसे अधिक है। इन देशों ने समान अवसर, शिक्षा और लैंगिक न्याय पर आधारित नीतियों को अपनाया है, जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं की राजनीतिक

[7] SamanyaGyan. "स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भूमिका." अगस्त 14, . (2025, www.samanyagyan.com/hindi/gk-role-of-women-in-indian-national-movement.

[8] सुभास कश्यप, हमारा संविधान: भारत का संविधान और संवैधानिक विधि (नई दिल्ली: नेशनल बुक ट्रष्ट, इंडिया, 2004), पृ.253|

[9] भारत सरकार, संविधान का 73वां एवं 74वां संशोधन अधिनियम: पंचायतों और नगरीय निकायों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित करना(नई दिल्ली: भारत सरकार, 1992)|

[10] भारत सरकार, महिला आरक्षण विधेयक, संविधान (128वां संशोधन) अधिनियम (नई दिल्ली: भारत सरकार, 2023)|

उपस्थिति लगभग 40–45% तक पहुँच चुकी है। स्वीडन में ये आंकड़ा 46% है, दक्षिण अफ्रीका में 45%, ब्रिटेन में 40%, और अमेरिका में 29% महिला सांसद है।[11]

विकासशील देशों में स्थिति: दक्षिण एशिया के कई देशों में महिलाओं ने शीर्ष नेतृत्व तक पहुँच बनाई है, जैसे श्रीलंका में सिरिमावो भंडारनायके, पाकिस्तान में बेनज़ीर भुट्टो और बांग्लादेश में शेख़ हसीना। लेकिन इसके बावजूद आमतौर पर संसदों और विधानसभाओं में महिलाओं की संख्या सीमित रही है। भारत में भी यही स्थिति दिखाई देती है जहाँ शीर्ष स्तर पर नेतृत्व के उदाहरण मौजूद हैं, लेकिन व्यापक प्रतिनिधित्व अभी भी संतोषजनक नहीं है।[12]

अंतरराष्ट्रीय संगठनों की भूमिक: संयुक्त राष्ट्र (UN) और इंटर-पार्लियामेंटरी यूनियन (IPU) लगातार यह प्रयास कर रहे हैं कि सदस्य देश राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाएँ। IPU की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में राष्ट्रीय संसदों में महिलाओं का औसत प्रतिनिधित्व लगभग 25% था। यह आँकड़ा बताता है कि महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन समानता हासिल करने के लिए अभी लंबा रास्ता तय करना बाकी है।[13]

भारत की तुलना: भारत और विश्व की तुलना करने पर यह स्पष्ट होता है कि राजनीति में महिलाओं की स्थिति धीरे-धीरे बेहतर हो रही है, लेकिन चुनौतियाँ अब भी मौजूद हैं। विश्व स्तर पर कुछ देशों, जैसे रवांडा, मेक्सिको और स्वीडन में संसद में महिलाओं की भागीदारी 40 से 60 प्रतिशत तक पहुँच चुकी है, जिससे वे निर्णय-निर्माण की प्रक्रिया में बराबरी से भाग ले रही हैं। इसके विपरीत भारत में अभी तक संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व लगभग 15 प्रतिशत के आसपास है। हालाँकि पंचायत और स्थानीय निकायों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलने से गाँव और कस्बों में महिला नेतृत्व उभरकर सामने आया है। यह स्थिति दर्शाती है कि भारत ने स्थानीय स्तर पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने में उल्लेखनीय प्रगति की है, लेकिन राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर बराबरी हासिल करने के लिए अभी और कदम उठाने की आवश्यकता है

चुनौतियाँ

राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं, फिर भी उन्हें कई गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये चुनौतियाँ केवल कानूनी या संस्थागत नहीं हैं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक भी हैं। पुरुष प्रधान व्यवस्था: पुरुष प्रधान एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ परिवार, समाज और संस्थानों में पुरुषों का प्रभुत्व होता है, जिससे वे निर्णय लेने और शक्ति के मुख्य पदों पर होते हैं, जबकि महिलाओं को अक्सर हाशिए पर धकेल दिया जाता है और उनके अधिकार सीमित हो कर दिए जाते हैं. इसमें पुरुषों को विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। भारतीय समाज अब भी बड़े पैमाने पर पुरुष प्रधान है। राजनीति को पुरुष-प्रधान क्षेत्र माना जाता है, जिसके कारण महिलाओं को प्रोत्साहन कम मिलता है और कई बार उनकी क्षमताओं पर संदेह किया जाता है।

शिक्षा और आर्थिक स्थित: महिलाओं की शिक्षा का स्तर और आर्थिक स्वतंत्रता राजनीति में प्रवेश करने के लिए महत्वपूर्ण है। ग्रामीण क्षेत्रों और पिछड़े वर्गों की महिलाओं के सामने यह चुनौती और अधिक गंभीर हो जाती है। आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण वे चुनाव लड़ने और राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय होने से पीछे रह जाती हैं।

[11] Drishti IAS. 'महिलाओं का राजनितिक प्रतिनिधित्व,' July 19, 2024. www.drishtiias.com>hindi

[12] साजेदा अमीन, "ग्रामीण बांग्लादेश में गरीबी-पर्दा प्रथा का जाल: परिवार में महिलाओं की भूमिका पर प्रभाव," विकास और परिवर्तन 28, (2) 1997|

[13] Inter-Parliamentary Union, Women in national parliaments: Situation as of 1st January 2021.(Geneva: IPU.2021)|

राजनीतिक दलों में अवसरों की कमी:भारत के अधिकांश राजनीतिक दलों में महिलाओं को पर्याप्त टिकट नहीं दिए जाते। चुनावी राजनीति में महिलाओं की भागीदारी अक्सर औपचारिक स्तर तक सीमित रह जाती है। दलों की आंतरिक संरचना भी पुरुष-प्रधान होती है, जिससे महिलाओं का उभरना कठिन हो जाता है।

सामाजिक पूर्वाग्रह और दोहरी जिम्मेदारी: महिलाओं को राजनीति में प्रवेश करते समय पारिवारिक और सामाजिक पूर्वाग्रहों का सामना करना पड़ता है। घर और राजनीति दोनों की जिम्मेदारी निभाना उनके लिए चुनौतीपूर्ण हो जाता है। समाज का बड़ा हिस्सा अब भी यह मानता है कि राजनीति पुरुषों का क्षेत्र है।

हिंसा और असुरक्षा: महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में हिंसा, मानसिक उत्पीड़न और असुरक्षा जैसी समस्याओं से जूझना पड़ता है। चुनावी राजनीति में महिलाओं को धमकी, चरित्र हनन और ऑनलाइन ट्रोलिंग जैसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, जो उनकी सक्रिय भागीदारी को बाधित करती हैं।

उपलब्धियाँ और अवसर

राजनीति में महिलाओं की भागीदारी भले ही चुनौतियों से घिरी रही हो, लेकिन समय के साथ अनेक उल्लेखनीय उपलब्धियाँ भी सामने आई हैं। इन उपलब्धियों ने न केवल महिलाओं की राजनीतिक क्षमता को प्रमाणित किया है, बल्कि आने वाले समय में उनके लिए नए अवसर भी खोले हैं।

आरक्षण का प्रभाव: भारत में पंचायती राज संस्थाओं में 33% महिला आरक्षण ने महिलाओं को राजनीतिक मंच पर लाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। गाँवों और नगरों में आज लाखों महिलाएँ सरपंच और वार्ड सदस्य के रूप में कार्य कर रही हैं। इससे यह साबित हुआ है कि यदि अवसर मिले तो महिलाएँ पुरुषों के बराबर या उनसे भी बेहतर नेतृत्व दे सकती हैं।

शीर्ष नेतृत्व में महिलाओं का योगदान: भारत में इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल, सुषमा स्वराज, सोनिया गांधी और ममता बनर्जी जैसी अनेक महिलाओं ने उच्चतम स्तर पर नेतृत्व किया है। यह उपलब्धियाँ यह दर्शाती हैं कि महिलाएँ केवल स्थानीय राजनीति तक सीमित नहीं हैं, बल्कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सशक्त भूमिका निभा सकती हैं।

सामाजिक बदलाव में भूमिका: राजनीति में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी ने सामाजिक सोच को भी बदलना शुरू किया है। पहले जहाँ महिलाएँ घर तक सीमित मानी जाती थीं, अब वे शिक्षा, रोजगार और राजनीति तीनों क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। ग्रामीण महिलाओं के नेतृत्व ने गाँवों में शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दों को प्रमुखता दी है।

अवसरों का विस्तार: आज शिक्षा के प्रसार, मीडिया की सक्रियता और सरकारी नीतियों के कारण महिलाओं के लिए राजनीति में प्रवेश के अवसर बढ़ रहे हैं। युवा पीढ़ी की महिलाएँ अधिक आत्मविश्वास और जागरूकता के साथ सामने आ रही हैं। साथ ही, महिला आरक्षण विधेयक (2023) के पारित होने के बाद उम्मीद है कि संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी ऐतिहासिक रूप से बढ़ेगी, जिससे नीति-निर्माण में उनका सीधा प्रभाव होगा।

भविष्य की संभावनाएँ: अगर सामाजिक पूर्वाग्रह कम किए जाएँ और महिलाओं को शिक्षा एवं आर्थिक संसाधनों से मजबूत किया जाए, तो राजनीति में उनकी संख्या और प्रभाव दोनों तेज़ी से बढ़ सकते हैं। तकनीकी विकास और

सोशल मीडिया भी महिलाओं के लिए राजनीति में एक नया मंच बनकर उभरे हैं, जहाँ वे अपनी आवाज़ और विचारों को बड़े पैमाने पर साझा कर सकती हैं।

निष्कर्ष

इस शोध से यह स्पष्ट होता है कि महिलाएँ राजनीति में केवल प्रतिनिधि नहीं हैं, बल्कि लोकतंत्र को सशक्त और संवेदनशील बनाने वाली ताकत भी हैं। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आज तक महिलाओं ने हर दौर में अपनी सक्रिय भागीदारी दिखाई है, और उनके योगदान ने समाज और राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत में महिलाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़ी है, विशेषकर पंचायती राज और आरक्षण जैसे उपायों के कारण। इसके बावजूद सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बाधाएँ अब भी उनके रास्ते में आती हैं। यदि इन बाधाओं को दूर किया जाए और महिलाओं को समान अवसर, शिक्षा और संसाधन उपलब्ध कराए जाएँ, तो राजनीति में उनका प्रभाव और भी मजबूत होगा। वैश्विक दृष्टि से भी यह देखा गया कि जहाँ महिलाओं को समान अवसर और समर्थन मिलता है, वहाँ लोकतंत्र अधिक मजबूत और न्यायपूर्ण बनता है। इसलिए महिलाओं की राजनीति में भागीदारी केवल उनके अधिकार का मामला नहीं है, बल्कि यह समाज और राष्ट्र के लिए लाभकारी भी है।

अतः यह आवश्यक है कि समाज, राजनीतिक दल और सरकारी संस्थाएँ मिलकर महिलाओं के लिए अधिक अवसर और सुरक्षा सुनिश्चित करें, ताकि वे अपनी क्षमता और नेतृत्व का पूर्ण योगदान दे सकें।

संदर्भ

1. भारत निर्वाचन आयोग। *सत्रहवीं लोकसभा आम चुनाव 2019 की सांख्यिकीय रिपोर्ट.* नई दिल्ली: भारत निर्वाचन आयोग, 2019.
2. Feminism in India. “भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी.” March 5, 2024. https://feminisminindia.com/.
3. IJIRCT. 'भारत में महिला सशक्तिकरण: सामाजिक परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम".2025 Retrieved from https://www.ijirct.org/viewPaper.php?paperId=2507014
4. सारँगदेवत, सुमित्रा. पंचायती राज में महिला नेतृत्व. जयपुर: हिमांषु पब्लिकेशन, 2008.
5. सिंह, भरत. "पंचायत में महिला नेतृत्व का अध्ययन," *RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary9,* संख्या 4 (15 अप्रैल 2024): 279-288|
6. सिंह, नीलम. "भारत में महिलाओं कि राजनितिक सहभागिता," *RJPP* 2017, Vol. 15, No.2, pp. 75-84,
7. SamanyaGyan. “स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भूमिका.” August 14, 2025. https://www.samanyagyan.com/hindi/gk-role-of-women-in-indian-national-movement.
8. कश्यप, सुभास. हमारा संविधान: भारत का संविधान और संवैधानिक विधि, नई दिल्ली: नेशनल बुक ट्रष्ट, इंडिया, 2004.

9. भारत सरकार, संविधान का 73वां एवं 74वां संशोधन अधिनियम: पंचायतों और नगरीय निकायों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण, नई दिल्ली: भारत सरकार, 1992.।

10. भारत सरकार, महिला आरक्षण विधेयक, संविधान (128वां संशोधन) अधिनियम, नई दिल्ली: भारत सरकार, 2023)|

1. 11. Drishti IAS. 'महिलाओं का राजनितिक प्रतिनिधित्व,' July 19, 2024. www.drishtiias.com>hindi 12. अमीन, साजेदा. "ग्रामीण बांग्लादेश में गरीबी-पर्दा प्रथा का जाल: परिवार में महिलाओं की भूमिका पर प्रभाव।" विकास और परिवर्तन 28, संख्या 2 (1997) | 13. Inter-Parliamentary Union. Women in national parliaments: Situation as of 1st January 2021. Geneva: IPU,2021